रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33001/2003 REGISTERED No. DL—33001/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2—अगस्त 8, 2003 (श्रावण 11, 1925)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2—AUGUST 8, 2003 (SRAVANA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	761
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	591
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	923
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1021
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	2903
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	7859
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	265
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1—171 GI/2003

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 761

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 591

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 923

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 1021

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 2903

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 7859

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 265

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..

*Follow not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं० 6/11/समिति-I/2002—दिनांक 17 जुलाई, 2003 के लोक सभा समाचार-भाग II में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

"संख्या 3979

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का नामनिर्देशन

अध्यक्ष ने श्री योगी आदित्यनाथ का नामनिर्देशन सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति से बदलकर शहरी ग्रामीण विकास संबंधी समिति में कर दिया है।"

ब्रह्म दत्त, उप सचिव

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2003

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्री एन० के० भोला, संयुक्त-निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस० वी० गोतम, उप-निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2003

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आई०एन०सी०) का पुनर्गठन

सं० एफ 22-2/2001-आई०एन०सी०—भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिनांक 17-9-2002 की समसंख्यक अधिसूचना में एतद्द्वारा यह संशोधन करता है कि क्रम संख्या 6 और 7 में संचार उप-आयोग के सांस्थानिक सदस्यों की सदस्यता के स्थान पर "कार्यकारी निदेशक, सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी० डेक०), पुणे विश्वविद्यालय परिसर, पुणे-411007" के रूप में एकल प्रविष्टि रखी जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग के सभी व्यक्तिगत और सांस्थानिक सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों; योजना आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय इत्यादि को इस संशोधन की सूचना भेजी जाए।

च० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2003

संकल्प

सं० 2/21/2002-वे०प्र०—श्री सुरेश पी० प्रभु, संसद सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय के संकल्प सं०-2/21/2002-वे०प्र०, दिनांक 13 दिसम्बर द्वारा अंतर्नदी सम्पर्क पर एक कार्यबल का गठन किया गया था।

संकल्प के अनुसार, कार्यबल के अन्य सदस्यों को अध्यक्ष कार्यबल की सलाह एवं प्रधानमंत्री के अनुमोदन के उपरांत नामित किया जाना है। अतः अध्यक्ष कार्यबल की सलाह एवं

प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, श्री ए० मोहनकृष्णन, सलाहकार, तमिलनाडु सरकार, को कार्यबल में अंशकालिक सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी एवं सेना सचिवों, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यबल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और यह कि राज्य सरकारों को आम सूचना हेतु राज्य के राजपत्रों में इसे प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

मधुसूदन गुप्ता, वरि० संयुक्त आयुक्त

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2003

संकल्प

सं० 3/3/2003-बागान(ग)—कॉफी, चाय, रबड़ एवं तंबाकू की निरंतर कम कीमतें रहने की वजह से इन वस्तुओं के उपजकर्ताओं को हुई कठिनाई को समाप्त करने की दृष्टि से और इन वस्तुओं के उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने इन वस्तुओं के उपजकर्ताओं के लाभार्थ एक कीमत स्थिरीकरण निधि (पी एस एफ) की स्थापना करने और एक स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है।

स्कीम का नाम

इस स्कीम का नाम कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम होगा।

उद्देश्य

पी एस एफ का उद्देश्य विनिर्दिष्ट स्तर से नीचे इन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाने पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद प्रचालनों की प्रथा अपनाए बिना उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

निधि का वित्तपोषण

इस कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना 500 करोड़ रुपए की राशि से की जाएगी जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा एक बार अंशदान के रूप में 482.88 करोड़ और 500 रुपए प्रति उपजकर्ता की दर से भागीदार उपजकर्ताओं द्वारा गैर वापसी योग्य आरंभिक योगदान के रूप में 17.12 करोड़ रुपए शामिल होंगे। इस निधि की धन राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में रखी जाएगी। निधि की इस राशि पर मिलने वाले ब्याज को जी पी एफ, एस डी एस और सार्वजनिक खाते की इसी प्रकार की निधियों पर लागू ब्याज दर की तरह निर्धारित किया जाएगा। निधि की इस राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल ब्याज पर प्राप्त आय का प्रयोग कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम के प्रचालन हेतु किया जाएगा। धन राशि पर अर्जित होने वाले वार्षिक ब्याज को नाबार्ड द्वारा प्रशासित न्यास निधि को जारी किया जाएगा।

नाबार्ड द्वारा प्रशासित न्यास निधि की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जायगी।

स्कीम की व्याप्ति

प्रारंभ में इस स्कीम में चाय, कॉफी, प्राकृतिक रबड़ और तंबाकू के 4 हैक्टेयर तक के प्रचलनात्मक जोतों वाले लगभग 3.42 लाख उपजकर्ताओं में से जो सर्वाधिक जरूरतमंद हैं, शामिल होंगे।

कीमत सीमा अपनाना

इन सभी चारों वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक समान सीमा अपनाई जायेगी जो सात वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय चल औसत कीमत में से +/-20% की कीमत सीमा के दायरे में होगी।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

यह स्कीम उत्पादकों और सरकार के अंशदान के सिद्धान्त पर आधारित होगी जो सामान्य/अत्याधिक/संकटकालीन अवधियों पर निर्भर होगा और जिसमें संकटकालीन अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा वापस लेने की व्यवस्था होगी।

भागीदार और सरकार के अंशदान को किसी निर्दिष्ट बैंक में इस स्कीम के प्रयोजनार्थ खोले गए भागीदार उत्पादक के खाते में जमा किया जायगा। उत्पादक के खाते में भागीदार उत्पादक' सरकार का अंशदान और उससे धनराशि की वापसी विनिर्दिष्ट कीमत सीमा के साथ संदर्भित होगी।

स्कीम के प्रचालन की अवधि

यह स्कीम प्रारंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल, 2003 से चल रही हैं। 5 वर्ष के बाद इस स्कीम की समीक्षा की जायेगी।

एल० वी० सप्तऋषि, अपर सचिव

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. वित्त सचिव, भारत सरकार
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुंबई
3. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्कम सरकार के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एल० वी० सप्तऋषि, अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 18th July 2003

No. 6/11/CI/2002—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II, dated 17th July, 2003, is hereby published for general information :—

"No. 3975

Nomination of a Member to the Committee on Urban and Rural Development

The Speaker has changed the nomination of Shri Yogi Aditya Nath from the Committee on Information Technology to the Committee on Urban and Rural Development."

BRAHM DUTT, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 11th July 2003

No. A-42011/21/2002-Ad. II—In exercise of powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise Shri N. K. Bhola, Joint Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. A-42011/21/2002-Ad. II—In exercise of powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise Shri S. B. Gautam, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHIR EDUCATION)

New Delhi, the 15th July 2003

Re-constitution of the Indian National Commission for Co-operation with Unesco (INC)

No. F. 22-2/2001-INC—The Government of India, Ministry of Human Resource Development hereby makes an amendment in the Notification of even numbers dated 17-9-2002 that the membership of institutional members of the sub-Commission on Communication, at Sl. No. 6 and 7 is replaced by single entry as "The Executive Director, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune University Campus, Pune-411007.

ORDER

Ordered that the amendment be communicated to all the individual and institutional members of the Indian National Commission for Cooperation with UNESCO(INC), all Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments, Union Territories, Planning Commission, Lok Sabha Secretariat, Prime Minister's Office and President's Secretariat, etc.

C. BALAKRISHNAN Joint Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th July 2003

RESOLUTION

No. 2/21/2002-BM/1160—Ministry of Water Resources through Resolution No. 2/21/2002-BM dated 13-12-2002 constituted a Task Force on Inter Linking of Rivers under the Chairmanship of Shri Suresh P. Prabhu, Member of Parliament (LS).

As per the Resolution, other Members are to be nominated in consultation with the Chairman of the Task Force and with the approval of the Prime Minister. Accordingly, on the recommendation of Chairman of the Task Force and after the approval of Prime Minister, Sh. A. Mohanakrishna, Advisor Government of Tamil Nadu is, hereby, nominated as part-time Member of the Task Force.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the concerned State Governments and Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission, all concerned Ministries/Departments of Central Government and members of Task Force.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

M. S. GUPTA, Sr. Joint Commissioner

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 24th July 2003

RESOLUTION

No. 3/3/2003-Plant.—In order to alleviate the hardship faced by the growers of coffee, tea, rubber and tobacco due to continued low prices of these commodities and to safeguard the interests of the growers of these commodities, the Government has decided to establish a Price Stabilisation Fund (PSF) and implement a Scheme for the benefit of the growers of these commodities.

Name of the Scheme

The Scheme will be called the Price Stabilisation Fund Scheme.

Objective

The objective of the PSF is to provide financial relief to the growers when prices of these commodities fall below a specified level, without resorting to the practice of procurement operations by the Government agencies.

Funding of the Corpus

The Price Stabilisation Fund will be established with a corpus of Rs. 500 crores which shall include Rs. 482.88 crore as a one time contribution by the Central Government and Rs. 17.12 crores as a non-refundable initial contribution by the participating growers @ Rs. 500 per grower. The corpus of the Fund will be kept in the Public Account of the Government of India. The Interest on the corpus Fund will be benchmarked to the interest rate as is applicable on the GPF, SDS and similar Funds in Public Account. The corpus Fund would remain undisturbed and interest earnings alone will be utilised for of India operationalising the price Stabilisation Fund Scheme. The annual interest accruing on the corpus would be released to the Trust Fund to be administered by the NABARD.

The Trust Fund administered by the NABARD will be audited by the Comptroller & Auditor General of India.

Coverage of the Scheme

Initially, the Scheme will cover a total of about 3·42 lakh growers of tea, coffee, natural rubber and tobacco, being the most needy amongst those having operational holdings of upto 4 hectares.

Adoption of a Price Band

A uniform band of 40 per cent for all the four commodities will be adopted with a price spectrum band of $\pm$ 20% from the seven years moving average of international prices.

Salient features of the Scheme

The scheme will be based on the principle of contributions from the growers and from the Government depending on normal/boom/distress periods, with a provision for withdrawal by the growers during distress period.

The contributions of the participant as well as of the Government would be made to an account of the participant grower, opened for the purpose of this Scheme, with any designated Bank. The contribution of the participant grower/Government to the grower's account and withdrawal therefrom would be with reference to the price band specified.

Period of operation of the scheme

The scheme is operational from April 2003 onward, initially for a period of ten years. The scheme will be reviewed after 5 years.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to ;

1. Finance Secretary, Govt. of India
2. Chairman, NABARD, Mumbai
3. Chief Secretaries Govt. of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Tripura, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Sikkim.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. V. SAPTHARISHI
Additional Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003